



कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक (ठिहरी क्षेत्र)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
अरण्य विकास भवन, 73 नेहरू रोड़, देहरादून।

Phone No- 0135-2608560

E-mail :- rmvannigamtehri@gmail.com

GST No-05AAALU0009MOZG

पत्राक-शि०-

/अपलिखित वाहन निस्तारण/निविदा

दिनांक-.....

निविदा हेतु रखे गये निष्प्रयोज्य/अपलिखित वाहनों का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र सं.	वाहन संख्या	मॉडल वर्ष	वाहन का प्रकार	स्थान जहाँ वाहन खड़े हैं
1	UK-07GB-0123	2012	एम्बेसेडर (पैट्रोल चालित)	अरण्य विकास भवन, 73-नेहरू रोड़, देहरादून के बैसमेन्ट
2	UK-07GV-4433	2008	एम्बेसेडर (पैट्रोल चालित)	
3	UK-07AP-5058	2012	सफारी (डीजल चालित)	

“निविदा शर्त”

1. निविदा निर्धारित प्रपत्र जो अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हैं, में सीलबंद लिफाफा में पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट/दस्ती (हाथ द्वारा) के माध्यम से दिनांक 15.03.2024 की अपराहन 2.00 बजे तक कार्यालय-क्षेत्रीय प्रबन्धक (ठिहरी क्षेत्र), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अरण्य विकास भवन, 73 नेहरू रोड़, देहरादून में प्राप्त होने चाहिए। बिना सीलबंद किये तथा विलम्ब से प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. पंजीकृत डाक तथा स्पीड पोस्ट/दस्ती (हाथ द्वारा) के अलावा किसी भी माध्यम से प्रेषित निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. सीलबंद निविदा दिनांक 15.03.2024 को अपराहन 3.00 बजे कार्यालय-क्षेत्रीय प्रबन्धक (ठिहरी क्षेत्र), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अरण्य विकास भवन, 73 नेहरू रोड़, देहरादून में इस कार्य हेतु गठित समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं एवं उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा।
4. निविदा फार्म दिनांक 05.03.2024 से दिनांक 14.03.2014 के अपराहन 5.00 बजे तक क्षेत्रीय प्रबन्धक (ठिहरी क्षेत्र) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अरण्य विकास भवन, 73 नेहरू रोड़, देहरादून देहरादून से रु0 118/- (जी०एस०टी० सहित) नकद भुगतान कर प्राप्त कर सकते हैं।
5. सीलबंद लिफाफे के बाहर “निष्प्रयोज्य वाहन तथा वाहन का माडल वर्ष को मोटे अक्षरों में अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें। प्रत्येक वाहन के लिए अलग-अलग निविदा प्रस्तुत करें। संयुक्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जायेगी।
6. निविदा फार्म के साथ रु0 5000/- मूल्य के एफ०डी०आर०/बैंक ड्राफ्ट निविदा प्रतिभूति धनराशि जो क्षेत्रीय प्रबन्धक (ठिहरी क्षेत्र), देहरादून के नाम Pledge हो निविदा प्रतिभूति के रूप में अनिवार्य रूप से संलग्न होगा। बिना निविदा प्रतिभूति के निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. निविदा प्रपत्र में वाहन क्रय करने हेतु प्रस्तावित बोली (Bid) निर्धारित कॉलम में अंको व शब्दों में साफ-साफ व स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय। ओवर राईटिंग, कटिंग तथा सफेदा (Whitener) प्रयोग किया हुआ Bid को स्वीकार नहीं किया जायेगा। शर्तिया निविदा भी स्वीकार नहीं की जायेगी।
8. उच्चतम बोलीदाता के निविदा को स्वीकार किया जायेगा। सफल निविदादाता को उनके द्वारा वाहन क्रय हेतु दी गयी बोली (Bid) के अतिरिक्त जी०एस०टी० सहित अन्य समस्त प्रकार के देयक, जो नियमानुसार देय होता है, भुगतान करना होगा।
9. सफल निविदादाता द्वारा दी गयी निविदा का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने पर, उन्हें पंजीकृत डाक अथवा उनके द्वारा दी गयी E-mail आई०डी० पर सूचित किया जायेगा।

10. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकार होने के तीन दिनों के अन्दर कुल बोली का 25 प्रतिशत धनराशि की एफ0डी0आर0 जमानत के रूप में क्षेत्रीय प्रबन्धक (टिहरी क्षेत्र), देहरादून के कार्यालय में जमा करनी होगी। अन्यथा की स्थिति में प्रतिभूर्ति की धनराशि को जब्त कर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
11. निविदा अनुमोदन की सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर सफल निविदादाता को वाहन की कीमत मय समस्त करों/देयकों को जमा कर वाहन को उठाना होगा। विशेष परिस्थिति में क्षेत्रीय प्रबन्धक (टिहरी क्षेत्र), उ0व0वि�0नि0, देहरादून द्वारा सफल निविदादाता को इस हेतु एक सप्ताह का अतिरिक्त अवधि विस्तार अनुमन्य किया जा सकता है।
12. निर्धारित समय अवधि के अन्दर वाहन की कीमत व समस्त प्रकार के देयकों को जमा न करने की स्थिति में निविदा धरोहर राशि को उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में जब्त कर निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा, जिस हेतु सफल निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
13. निविदा प्रेषित करने से पूर्व निविदादाता वाहन एवं उसके अभिलेख (आर0सी0/इंश्योरेंस) का निरीक्षण/परीक्षण अवश्य कर लें। बाद में वाहन एवं अभिलेख को लेकर किसी प्रकार की शिकायत/आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। वाहन के कागजातों का क्षेत्रीय प्रबन्धक (टिहरी क्षेत्र), देहरादून कार्यालय से सम्पर्क कर अवलोकन कर सकते हैं।
14. सभी वाहनों को जहां खड़ा रखा गया है, का विवरण उपरोक्त सारणी में उल्लेख किया गया है।
15. बिना कारण बताये टैण्डरों को निरस्त करने कर अधिकार उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पास सुरक्षित होगा।
16. वाहन के उच्चतम प्राप्त मूल्य पर जो भी कर एवं जी.एस.टी. देय होगा, सफल निविदादाता को अलग से देना होगा। वाहन एवं उसके कागजात (आर0सी0/इंश्योरेंस) का भली भौति जाँच कर निविदा प्रस्तुत की जाय।
17. निविदा के साथ निविदादाता द्वारा स्थायी आयकर संख्या (PAN NUMBER) की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
18. निविदा अधिकतम धनराशि के आधार पर स्वीकृत की जायेगी, किन्तु किसी भी निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पास सुरक्षित है।
19. निविदा प्रक्रिया स्थगित/निरस्त होने की दशा में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
20. निविदा शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में सफल निविदादाता की जमानत (निविदा प्रतिभूति) को उत्तराखण्ड वन विकास निगम के हित में जब्त कर निविदा को निरस्त किया जायेगा, जिस हेतु निविदादाता स्वयं जिम्मेदार रहेगा।
21. विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवाद का निस्तारण आर्बिटेशन एक्ट के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। महाप्रबन्धक (दत्पादन), उत्तराखण्ड वन विकास निगम आर्बिट्रेटर होंगे, तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
22. कानूनी कार्यवाही की दशा में कानूनी क्षेत्र देहरादून जनपद ही होगा।
23. प्रश्नगत वाहनों का पंजीकरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के नाम से परिवर्तित कराकर सफल निविदादाता को अपने नाम कराना होगा। तदोपरान्त ही परिवर्तित पंजीकरण की प्रति कार्यालय में उपलब्ध कराने के पश्चात वाहन की सुपुदर्गी सफल निविदादाता को की जाएगी।

दिनांक 04-03-2024

संलग्नक:-निविदा फार्म



क्षेत्रीय प्रबन्धक (टिहरी क्षेत्र)
देहरादून।

निविदा प्रपत्र

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रबन्धक (टिहरी क्षेत्र)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून।

विषय:- निष्प्रयोज्य सफारी वाहन संख्या—UK-07AP-5058 की बिक्री हेतु निविदा।

महोदय,

आपके उपरोक्त विषयक संदर्भित विज्ञप्ति के द्वारा आमंत्रित निविदा के क्रम में
मेरे/हमारे द्वारा निविदा निम्नवत् प्रस्तुत की जा रही है।

क्र. सं.	विवरण	प्रस्तुत निविदा		निविदा प्रतिभूति		
		रूपये (अको में)	रूपये (शब्दों में)	बैंक का नाम	ड्राफ्ट संख्या	धनराशि
1.	सफारी वाहन संख्या—UK- 07AP-5058					

उपरोक्तानुसार मेरे/हमारे द्वारा निविदा एवं शर्तें भली भाँति पढ़ ली गयी है एवं समझ ली गयी है। मौके पर वाहन एवं उसके अभिलेख (R.C./Insurance) देख लिया गया है। निविदा की समस्त शर्तें हमें मान्य हैं। सफारी वाहन क्रय पर जो भी अतिरिक्त GST लगेगा अलग से दिया जायेगा। मैं/हम उक्त सफारी वाहन निर्धारित प्रक्रिया एवं निविदा शर्तों के अनुसार क्रय करने हेतु बाध्य हूँ/हैं।

संलग्नक:—बंधक धनराशि

निविदादाता

हस्ताक्षर :—

नाम :—

पता :—.....

दूरभाष :—

निविदा प्रपत्र

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रबन्धक (टिहरी क्षेत्र)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून।

विषय:- निष्प्रयोज्य एम्बेसडर वाहन संख्या—UK-07GV-4433 की बिक्री हेतु निविदा।

महोदय,

आपके उपरोक्त विषयक संदर्भित विज्ञप्ति के द्वारा आमंत्रित निविदा के क्रम में
मेरे/हमारे द्वारा निविदा निम्नवत् प्रस्तुत की जा रही है।

क्र. सं.	विवरण	प्रस्तुत निविदा		निविदा प्रतिभूति		
		रूपये (अको में)	रूपये (शब्दों में)	बैंक का नाम	ड्राफ्ट संख्या	धनराशि
1.	एम्बेसडर वाहन संख्या—UK- 07GV-4433					

उपरोक्तानुसार मेरे/हमारे द्वारा निविदा एवं शर्ते भली भाँति पढ़ ली गयी है एवं समझ ली गयी है। मौके पर वाहन एवं उसके अभिलेख (R.C./Insurance) देख लिया गया है। निविदा की समस्त शर्ते हमें मान्य हैं। एम्बेसडर वाहन क्रय पर जो भी अतिरिक्त GST लगेगा अलग से दिया जायेगा। मैं/हम उक्त एम्बेसडर वाहन निर्धारित प्रक्रिया एवं निविदा शर्तों के अनुसार क्रय करने हेतु बाध्य हूँ/हैं।

संलग्नक:—बंधक धनराशि

निविदादाता

हस्ताक्षर :-

नाम :-

पता :-

दूरभाष :—